राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1063/2024

धर्मवीर सिंह बेनीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.02.2024

आदेश की दिनांक : 12.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा कुमार टांक, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय ढ़िढोरा, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पशु चिकित्सा उप केन्द्र नारोली, करौली किया गया है, जो 90 कि.मी. दूर है और मात्र 12 माह की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका कथन है कि इस प्रकार के स्थानान्तरण

आदेशों के क्रियांवयन के संबंध में अधिकरण द्वारा पूर्व में अमित कुमार शर्मा बनाम राज्य अपील संख्या 155/2023 में स्थगन आदेश जारी किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी का मामला भी उक्त तथ्यों के समान है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है और किसी भी कार्मिक को विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं है। शिल्पी बोस वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय ढ़िढोरा, करौली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पशु चिकित्सा उप केन्द्र नारोली, करौली किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी एक वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित है और उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है और यह नियोक्ता का अधिकार है कि उसे किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी हैं, किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक 90 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 90 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

इस प्रकार अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य